एक रास्ता यह भी

*साधना देवेश**

शिक्षा सभी बालकों का अधिकार है तथा सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आज भारत में भी इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। गाँधी जी ने 'नई तालिम' के दूसरे सोपान पर 7 से 15 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए बुनियादी शिक्षा बुनियादी तालीम की व्यवस्था दी। गाँधी जी ने 'नई तालिम' को 'जीवन-भर के लिए तालिम' माना। बापू के अनुसार शिक्षा बेरोज़गारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। बेकारी की जड़ काटते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्या तो मुक्ति के लिए है। मोक्ष यानी स्वावलंबन/स्वावलंबन प्रधान शिक्षा का प्रावधान रखती हुई बुनियादी शिक्षा हिंदुस्तान के व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी करती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ स्वावलम्बी व्यक्ति को औद्यौगिक प्रक्रिया के माध्यम से बौद्धिक, साँस्कृतिक विकास द्वारा सुविकसित, स्वतंत्र नागरिक भी बनाती है। 7 से 15 वर्ष के बालक-बालिकाओं के शिक्षा के मौलिक अधिकार की पैरवी करती बुनियादी शिक्षा की महती आवश्यकता पर यह लेख प्रस्तुत है।

रोज़ी-रोटी की व्यस्तता में डूबे माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी ओर से निश्चिंत हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से उन्हें 'व्यक्ति' बना लेगा। जबकि सोलह वर्ष की खर्चीली तपस्या के बाद का वह व्यक्ति जीविकोपार्जन के उचित जरिए की तलाश में खुद को समायोजित नहीं पाता और एक मानसिक टूटन उसमें घर कर जाती है।

मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षक पर तमाम अपेक्षाएँ डालकर उसे खुद में इतनी क्षमता लाने के लिए तैयार करवाया है ताकि बालक के विकास में शिक्षक की कोई ख़ामी

**रीडर* (एम.एड. विभाग) मातुश्री अहिल्या देवी टीचर्स एज्युकेशन इंस्टीट्यूट, इंदौर (म.प्र.)

आड़े न आए। मनोवैज्ञानिक शिक्षक को बालक के अक्षर ज्ञान से चलकर उसकी प्रवृत्तियों तक को सुधारने का जिम्मेदार ठहराते हैं। उम्मीद करते हैं कि शिक्षक बालक को खुली किताब की तरह आद्योपांत जानें। शिक्षक अपने घंटों में जितना भरसक प्रयास कर सकता है। परंतु बालक फिर भी ऐसा क्यों नहीं करता जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। यहाँ कई दूसरे कारण भी हैं। आइए जाने। परिवार अपनी जिम्मेदारी कितनी याद रखते हैं? सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक प्रयुक्त मनोरंजन का साधन टी.वी. या सिनेमा है और वह जिस ढंग की सामग्री दे रहा है उसे प्रदर्शित करने के बाद हम अपेक्षा रखते हैं कि जो विकृतियाँ बालकों में आएँ शिक्षक उन्हें सुधारें और जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ ...?

वे व्यक्ति जो बाल्यावस्था से ही मेहनत, मज़दूरी में जुट जाते हैं पूरी उम्र अंगीठियों के सामने सिकते हैं, झूठे प्याले, तश्तरियाँ धोते हुए कान फोड़नेवाला संगीत सुनते हैं, कई किशोर होते ही कारखानों में कामगार हो जाते हैं, फुटपाथ और सड़कों पर वे अखबार रिसाले बेचते नंगे पैरों फिरते हैं, जिन्हें वे खुद नहीं पढ़ पाते। फेरी लगाते समाज की विसंगतियों का सामना करते हैं उन्हें कौन-सा शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए?

शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न हम नहीं उठा सकते। संतुलित आहार का सरोकार उनसे नहीं है। वे पर्याप्त आहार भी मयस्सर नहीं कर पाते। पेट भरने के लिए उन्हें संघर्ष और प्रयास करने पड़ते हैं। महँगी शुल्क वाले धनाढ्य प्राइवेट स्कूल तथा सरकारी शालाएँ (मिड डे मील) मध्याह्नकालीन अल्पाहार का प्रावधान रखती हैं। निरक्षर बच्चों के लिए जो सुबह की रोटी के लिए, रात को ओढ़ने के लिए पढ़ने आने की बजाए नौकरी, मज़दूरी में जुटे हैं, उत्पादनमुखी स्वावलंबी शिक्षा का सरंजाम क्यों नहीं किया जाता जो इनके भरण-पोषण के साथ-साथ उन्हें जीविकोपार्जन का रास्ता भी दे। कार्यानुभव के उनके कौशलों को प्रोत्साहन मिलें।

राष्ट्र के नैतिक उत्थान का प्रश्न उठाते हुए बाल-अपराधियों के बढ़ते आँकड़े हमें चौंकाते नहीं। इनकी प्रवृत्तियों के स्वस्थ या अस्वस्थ होने की कोई समस्या हमें सालती क्यों नहीं? अपराध के पीछे अभाव को कारण मानते हुए भी चोरी करने वाले को दयादृष्टि नज़रअंदाज़ कर देती है। अपराधवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। समाजिक वातावरण का प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार है। सांवेगिक सुरक्षा, प्यार का अभाव, परिवार में बच्चे की उपेक्षा, नौकरों पर बालक की निर्भरता, अत्याधिक अकेला रहना आदि परिस्थितियाँ आगे चलकर उसे अपराध की ओर प्रवृत्त करती हैं क्योंकि इस तरह वह स्वयं को ध्यानाकर्षण का केंद्रबिंदु बना लेता है। अनाथ बच्चे पेशेवर अपराधियों के प्रश्रय में कुटते-पिटते हुए पनप ही जाते हैं। भूख और बेगारी के कारण होने वाले अपराधों का पलड़ा और भी भारी है। बूट पॉलिश करने वाला लड़का यदि चवन्नी की अठन्नी माँगे तो गालियों के साथ उसे तमाचा मिल सकता है लेकिन हिंसा और बलात्कारयुक्त सिनेमा देखने की ख़ातिर जेब से चाहे जितना पैसा निकाला जा सकता है। हमारे देश में दरहकीकत तमाम श्रमिक कानूनों के बावजूद ख़रीदे गए गुलामों की तरह खासा शोषण आज बाल-वर्ग का हो रहा है। पिता के साथ खेत

में जुटे, वर्कशाप की कालिख में लिपटे बालक इस अनौपचारिक कार्य-प्रक्रिया में आगामी जीवन के लिए सही शिक्षा पा रहे हैं। हमारा सारा आग्रह उनके प्रति है जिनका अपना पुश्तैनी धंधा नहीं है और मौकापरस्त मालिकों के मनचाहे रवैये में उन्हें रौंदा जा रहा है। शिक्षालय में उनके लिए उसे शिक्षा योजना की दरकार है जो उन्हें कार्यानुभव के साथ-साथ उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय, उपभोग द्वारा उचित मूल्य प्रदान करवाए यानी सीखना भी और कमाई भी।

कृषि प्रधान, कर्म प्रधान भारत के लिए उद्योग के माध्यम से शिक्षा का प्रारूप गाँधी जी ने रखा। उस समय (1937) सम्मेलन में आए देश के शिक्षाशास्त्रियों की अस्वीकृति इस कारण से थी कि ''इससे बच्चों की गुलामी बढ़ेगी और उन पर उत्पादन का बोझ लद जाएगा।'' देश गरीब है, गरीबी होते हुए भी सार्वजनिक शिक्षण आवश्यक है इत्यादि दलीलों को वे मानते थे लेकिन गरीबी के कारण बच्चे से उत्पादन करवाया जाए यह उन्हें मान्य नहीं था। जो लोग स्वावलंबन के विरोधी थे वे यह कहते थे कि बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार है। बच्चों को पढ़ाई के साथ, कमाई करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षाशास्त्रियों के इस विरोध के बावजूद गाँधी जी शिक्षा में स्वावलंबन के विचार पर दृढ़ रहे। जीविका तथा नित दिन के वातावरण से हटा कर दी गई शिक्षा को गाँधी जी जीवन-शिक्षा नहीं मानते।

शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानने पर-'स्वावलंबन प्रधान शिक्षा' उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य बालकों को प्रदान करवाएगी। यह शिक्षा बालकों की शारीरिक, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर मानसिक संतुष्टि प्रदान करने में सक्षम है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य 'सा विद्या या विमुक्तये पूर्ण होता प्रतीत होता है। मुक्ति से यहाँ तात्पर्य मानवीय समस्याओं के हल एवं समायोजन से है। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों में हस्त उद्योग को प्रश्रय देते हुए शाला कार्यक्रम में स्वावलंबी शिक्षा बुनियादी शिक्षा को लागू कर ग्राम स्वराज्य पाया जा सकता है। विश्व में गाँधी जी की शिक्षा विचारधारा अपनी पहचान बनाने व व्यावहारिक रूप में पूर्ण होते हुए भी शिक्षण के रूप में पहले दक्षिण अफ्रीका में मान्य हुई जहाँ गाँधी जी ने टॉलस्टाय फार्म में अपनी कर्मप्रधान स्वावलंबी शिक्षा का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान को आज ज़रूरत है कि गाँधी जी के बुनियादी शिक्षा के प्रत्यय को विचारें, अपनाएँ। 'संस्थाकुल' (जून 2008) पृष्ठ 7-8 एवं 'गोग्रास' (मई 2008) पृष्ठ 450, 451, 452, 453 में 'शिक्षा की हिलती बुनियाद' शीर्षक से लेख लिखते हुए डॉ. अवध प्रसाद के अनुसार-

> *''राष्ट्रीयता महात्मा गाँधी को इस धारणा की अभिव्यक्ति का श्रेय है कि विकास की प्रक्रिया में 'व्यक्ति' आधार है, केंद्र बिंदु है। गाँधी जी ने व्यक्ति के जीवन को समाज का प्रतिबिंब माना और व्यक्ति के जीवन एवं व्यवहार से ही समाज के स्तर, विकास की पहचान एवं सत्य के विचार को प्रतिपादित किया।''*

गाँधी जी के नई तालीम विद्यालय में श्रम के साथ जो शिक्षा दी गई वह गणित, विज्ञान, कृषि-विज्ञान, उद्योग के साथ शिक्षा का प्रयोग था।

श्रम आधारित शिक्षा में सभी कार्यों का समान महत्व बालक के मानस पर सकारात्मक प्रभाव डालने में समर्थ है।

बाल एवं युवा शक्ति को जीवनोपयोगी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना ही शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य है। बाल शिक्षण को भावी समाज का दर्पण माना गया है जिसकी बुनियाद भी शिक्षा में निहित है। आज चिंतन के मुख्य छह विषयों में – आजीविका, सशक्तीकरण, स्त्री–पुरुष समानता, कृषि, औद्योगीकरण और ग्रामीण दस्तकारों की सेवाएँ–शामिल हैं। इन मुद्दों को शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए इस पर विचार किया जाना अनिवार्य है इस हेतु गाँधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोग का स्मरण करना सामयिक होगा।